

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण प्रकरण संख्या 96/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

राजपूताना महिला अरबन कॉ-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, शाखा गायत्री कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती नोसर देवी पतनी श्री हजारी लाल चौधरी
पता :- पता :- डगरो की ढाणी, मोहब्बतपुरा, तहसील फागी, जयपुर।
एवं दुकान नम्बर ए-9, अर्जुन नगर, मोहब्बतपुरा, तहसील फागी, जयपुर।
एवं दुकान नम्बर ए-10, अर्जुन नगर, मोहब्बतपुरा, तहसील फागी, जयपुर।
एवं आबादी भूमि, मोहब्बतपुरा, फागी।
2. श्री हजारी लाल चौधरी पुत्र श्री रघुनाथ
3. श्री ओमप्रकाश चौधरी पुत्र श्री हजारी लाल चौधरी
पता :- डगरो की ढाणी, मोहब्बतपुरा, तहसील फागी, जयपुर।
4. श्रीमती अनीता देवी पत्नी ओमप्रकाश चौधरी
पता :- डगरो की ढाणी, मोहब्बतपुरा, तहसील फागी, जयपुर।
एवं आबादी भूमि मोहब्बतपुरा, फागी, जयपुर।
5. श्री मोती राम जाट पुत्र रघुनाथ जाट
पता :- 199, मोहब्बतपुरा, तहसील फागी, जयपुर।
6. श्री अर्जुन लाल पुत्र श्री छोटूराम
पता :- कलवानियों की ढाणी, राजपुरा, तहसील फागी, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :- श्री अजय कुमार नटवारिया अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक 20.05.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने दिनांक 09.04.2018 को अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती नोसर देवी पत्नी श्री हजारी लाल के स्वामित्व की सम्पत्ति (1) मिसल संख्या 32, संकल्प संख्या 3, ग्राम पंचायत मोहब्बतपुरा, तहसील फागी हाल तहसील माधोराजपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 323.88 वर्गगज (2) दुकान नम्बर ए-9, अर्जुन नगर योजना, मोहब्बतपुरा, तहसील फागी हाल तहसील माधोराजपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 22.22 वर्गगज (3) दुकान नम्बर ए-10, अर्जुन नगर योजना, मोहब्बतपुरा, तहसील फागी हाल तहसील माधोराजपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 22.22 वर्गगज एवं श्रीमती अनीता उर्फ सुनीता देवी पत्नी ओमप्रकाश जाट के स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा संख्या 81, संकल्प संख्या 8 ग्राम मोहब्बतपुरा,

५५
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर



तहसील फागी हाल तहसील माधोराजपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 141 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 20,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में अराफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 01.01.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 20,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार, ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 16,16,592/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 01.01.2024 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को जवाब दिया गया है जिसका प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा निस्तारण कर दिया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती नोसर देवी पत्नी श्री हजारी लाल के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति (1) मिसल संख्या 32, संकल्प संख्या 3, ग्राम पंचायत मोहब्बतपुरा, तहसील फागी हाल तहसील माधोराजपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 323.88 वर्गगज (2) दुकान नम्बर ए-9, अर्जुन नगर योजना, मोहब्बतपुरा, तहसील फागी हाल तहसील माधोराजपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 22.22 वर्गगज (3) दुकान नम्बर ए-10, अर्जुन नगर योजना, मोहब्बतपुरा, तहसील फागी हाल तहसील माधोराजपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 22.22 वर्गगज एवं श्रीमती अनीता उर्फ सुनीता देवी पत्नी ओमप्रकाश जाट के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति पट्टा संख्या 81, संकल्प संख्या 8 ग्राम मोहब्बतपुरा, तहसील फागी हाल तहसील माधोराजपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 141 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर

जिला मैजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

